(...)

प्रेषक,

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
ऊधम सिंह नगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

पत्रांक बे०शि०/ 25799-800 /मा०/2007-08, दिनांक 5/3/09
विषय शिक्षा सत्र 2007-08 से शिक्षा सत्र 2012-13 तक अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला मान्यता समिति जनपद ऊधम सिंह नगर की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आपके मान्यता प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2007-08 से शिक्षा सत्र दि०-31-03-2013 तक अनुभाग 6 शासनादेश संख्या-1073/15-6-98-18 (एस-7)/89, दिनांक 10-9-1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अस्थाई मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है, कि प्रबन्ध समिति निम्नांकित प्रतिबन्धों की पूर्ति उपरोक्त अवधि में निश्चित रूप से कर पुनः समस्त प्रपत्रों सहित उप खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह मान्यता दिनांक-31-03-2013 तक विधि मान्य होगी। यदि प्रबन्ध समिति द्वारा विभागीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। उपरोक्त प्रदत्त समयानुसार आगामी शिक्षा सत्र की अवधि तक मान्यता प्रकरण पर लगाये गये प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने की स्थिति में मान्यता की समयवृद्धि इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगी। इस सम्बन्ध में शासन एवं विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन विद्यालयों को अस्थाई मान्यता प्राप्त किये पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हों और इस अवधि में उनके द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की गयी है तो उनके प्रकरण निदेशालय को भेज दिये जायें। इस सम्बन्ध में पत्र को नोटिस समझें।

1-भूमि तथा भवन विद्यालय के नाम हों।
2-विद्यालय में अग्नि शमन यन्त्र लगा हो।
3-समस्त अध्यापक प्रशिक्षित हों।
4-विद्यालय भवन पक्का हो।

भवदीय

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
ऊधम सिंह नगर।

पृ०सं० /2006-07, दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि-सम्बन्धित उपखण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालयों की मान्यता प्रतिबन्धों का स्थलीय निरीक्षण कर समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या प्रेषित करें। जिन विद्यालयों को मान्यता प्राप्ति के पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हो, उन्हें उक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति किये बिना भविष्य में मान्यता दिया जाना सम्भव नहीं होगा। जिन विद्यालयो की मान्यता समाप्त हो गयी हो, उनकी सूची भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)
ऊधम सिंह नगर